तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **महेश बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार औसियां)** सू.अ.अ. अपील संख्या 204 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी महेश, निवासी मथानिया जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.01.2022 में (1) किसी 4 भाईयों के नाम जमीन जिसका 4 के पास प्रारूप ख है लेकिन नक्शा मे हिस्सा है उसे बदल कर 4 आपसी रजाबंदी से प्लॉट बना दिए है अब सभी को अलग अलग पटा चाहिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उक्त जमीन ग्राम पंचायत में स्थित है व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 306 दिनांक 15.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार औसियां द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई तथा अपील दायर होने के पश्चात् प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार तिंवरी को को प्रेषित किया गया, जो खेदजनक है। तहसीलदार औसियां को हिदायत दी जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित अवधि के भीतर करे। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है तो 15 दिवस में उपलब्ध करावे अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	